न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर
अजमेर न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	**–**	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**737/2021**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**737/2021**
एफ. आई. आर. संख्या	**–**	**198/2021**
सीएनआर संख्या	**–**	**RJAJ220009392021**
आरक्षी केन्द्र	**–**	**पुलिस थाना, पुष्कर**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

गौरव कुमार मीणा पुत्र खेमराज मीणा, उम्र 23 साल, निवासी नाईखेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर, जिला अजमेर।

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 354–डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 67–ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम,

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री प्यारे मोहन गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	11.09.2021 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	11.09.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	21.12.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	04.01.2022
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	15.06.2022
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	13.03.2026
निर्णय की तिथि	13.03.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

authentication document

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	गौरव कुमार मीणा	27.10.2021	24.11.2021	354–डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं 67–ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम	दोषमुक्त		

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	पूजा मीणा	परिवादिया
पीडब्ल्यू–2	मधु कुमारी मीणा	गवाह
पीडब्ल्यू–3	रमेश चंद मीणा	गवाह
पीडब्ल्यू–4	जोराराम	फर्द जब्ती का गवाह
पीडब्ल्यू–5	विजय	एफएसएल प्राप्ति रसीद का गवाह
पीडब्ल्यू–6	हीरालाल	मालखाना इंचार्ज
पीडब्ल्यू–7	गणेशराम	फर्द गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू–8	महावीर प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी

authentication document

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	धारा 164 सीआरपीसी के बयान	प्रदर्श पी–2
3	फर्द पेशकशी जब्ती स्क्रीनशॉट	प्रदर्श पी–3
4	65बी आई टी एक्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी–4
5	स्क्रीनशॉट का प्रिंटआऊट	प्रदर्श पी–5 लगायत पी–34
6	फर्द पेशकशी व जब्ती पेन ड्राईव	प्रदर्श पी–35
7	धारा 164 सीआरपीसी के बयान	प्रदर्श पी–36
8	फर्द जब्ती मोबाईल	प्रदर्श पी–38
9	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–39
10	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–40
11	स्क्रीनशॉट	प्रदर्श पी–40ए लगायत पी–44
12	यूआरएल आईडी प्राप्त करने हेतु पत्र	प्रदर्श पी–45 लगायत प्रदर्श पी–48
13	एफएसएल हेतु जारी पत्र	प्रदर्श पी–49
14	वीडियोग्राफी बयान	प्रदर्श पी–50
15	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–51

क. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1	–	–

authentication document

निर्णय **दिनांक: 13.03.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर की ओर से दिनांक 21.12.2021 को अभियुक्त गौरव कुमार के विरुद्ध धारा 354डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 01.05.2025 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादिया पूजा मीणा ने दिनांक 10.09.2021 को एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पुलिस अधीक्षक, अजमेर के समक्ष इस आशय का पेश की कि उसके गांव व समाज का लड़का जिसका नाम गौरव मीणा पुत्र खेमराज मीणा है, जो कि नाईखेड़ा, केकड़ी में निवास करता है, जो उसकी बुआ के लड़के विनोद का मित्र है। गौरव मीणा ने उसके मोबाईल नंबर का अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त कर जीमेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम व अन्य सभी सोशल मीडिया साईट पर उसे सर्च करते हुए, न जाने कैसे उसके पूर्व व अन्य पारिवारिक फोटोग्राफ्स को अपने फोन व सोशल मीडिया साईट पर उसके नाम की Fake ID बनाकर उसकी सोशल मीडिया साईट mahi.k.247797, हूबहू mahi.k249777, mahi.k.2477, puja_r.24779, poojameena24779, अपने फोन सैल नंबर pooja.k.m.p, riyak6426 व 8290105797 व अन्य किसी सोशल साईट पर जाकर उसके फोटोग्राफ्स को फेक इंस्टाग्राम साईट पर अपलोड कर दिया तथा फोटोग्राफ्स पर अश्लील कमेंटस व भद्दी शब्द शैली, उसके मोबाईल नंबर 9468777173 को Fake ID साईट पर ("paid girl, & call girl) शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी सामाजिक ख्याति को हानि पहुंचाने की बदनीयती से "paid girl, s*x girl, fun girl, only for fun...... एवम् अन्य अश्लीलता व ऐसे शब्द जो स्त्री की गरिमा व लज्ञा को भंग करते हुए उसे सामाजिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत बदचलन होने का इशारा कर रहा है। सोशल मीडिया फेक साईट पर गौरव मीणा द्वारा उसका वर्तमान मोबाईल नंबर 9468777173 पर वॉट्सअप मैसेज पर अश्लील कमेंटस व अन्य मोबाईल नंबरों से कॉल कर उसे हैरान–परेशान किया जा रहा है, जिसका एकमात्र कारण गौरव मीणा है। उसकी जानकारी में आने के बाद उसने गौरव मीणा की सोशल साईट पर जाकर नंबर देखकर, उसे समझाते हुए हिदायत दी कि आईन्दा ऐसी कोई हरकत न करे, जिससे उसे उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही करनी पड़े, लेकिन वह नहीं माना और प्रार्थिया को धमकाते हुए कहा कि तेरे निर्वस्त्र फोटोज़ को वह सोशल साईट पर फोटो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनवाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, वह उसकी गिरी हुई मानसिकता व शब्दों को सुनकर बेहद डर गई थी, क्योंकि वह कॉलेज में पढ़ने वाली अविवाहित छात्रा है। भविष्य को लेकर न जाने समाज में क्या परिस्थितियां उत्पन्न कर देता, उसने अपनी बड़ी बहन मधु कुमारी मीणा व पिता को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर सामाजिक स्तर पर जाति बंधु होने के कारण, गौरव के पिता खेमराज मीणा, जो कि राजस्थान पुलिस में हैड कांस्टेबल हैं, उनसे उसके पिता रमेश चन्द ने फोन पर वार्ता कर

समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का पक्षपात करते हुए फोन काट दिया। गौरव मीणा ने सोशल मीडिया पर उसके फोटोग्राफ्स फेक आई.डी. के साथ लगाते हुए, उस पर अश्लील कमेंटस लिखना व उसके सोशल मीडिया फ्रेंड सर्किल पर बंद नहीं किया, तब उसकी बड़ी बहन मधु कुमारी मीणा ने गौरव व उसके पिता से मोबाईल नंबर 9414615905 पर अपने मोबाईल नंबर 9468777173 से फोन कर वार्तालाप कर समझाना चाहा तो गौरव के पिता ने कहा कि मेरा पुत्र मेरे कहे–काबू में नहीं है, मैं उसे समझाने में असमर्थ हूँ, लेकिन फोन पर गौरव ने उसके साथ अभद्रता व गाली–गलौज करते हुए जिस तरह के वार्तालाप दौरान धमकी दी। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उनके सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर समझाने के बावजूद भी नहीं मानने पर उसने साहस कर अपने विधिक अधिकारों के तहत् पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करना ही उचित समझा, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता उसके समक्ष नजर नहीं आ रहा था।आरोपी गौरव मीणा के पिता खेमराज मीणा व चाचा अर्जुन मीणा राजस्थान पुलिस में होने के कारण सम्बन्धित पुलिस थाना पुष्कर पर लिखित शिकायत सं. 275410272100825_GOPAL SINGH MEENA, 9829953518, Raj. Police दिये जाने पश्चात् आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं करने पर अपनी इज्ज़त की रक्षा हेतु लिखित शिकायत प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि आरोपी के पिता व रिश्तेदार राजस्थान पुलिस में हैं, जो अपने रसूखात प्रभाव व पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के सहयोग द्वारा अपने पुत्र के खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज होने से रोक सकते हैं और उसको पूर्व की तरह पुष्कर थाने पर जांच के नाम पर घंटो बैठाकर हैरान–परेशान करवा सकते हैं। उसके विधिक अधिकारों के तहत् उसकी लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ उसके आपराधिक कृत्य व मानसिकता तथा सामाजिक स्तर पर महिला को बेइज्ज़त करने के लिये सोशल साईट मीडिया साईबर सैल काईम करने व धमकाने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में सहयोग व न्याय प्रदान करने में सक्षम अधिकारी हैं। अंत में प्रार्थिया की लिखित शिकायत पर गौर फरमाते हुए आरोपी के कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता के क्रम में सोशल मीडिया द्वारा जिस तरह का अपराध कारित किया गया है, ऐसे अपराधी के खिलाफ साईबर काईम व भा.दं.सं. के तहत् अन्तर्गत अपराध की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करते हुए उसकी सुरक्षा के साथ–साथ न्याय प्रदान किए जाने का निवेदन किया ......आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना पुष्कर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 354डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त गौरव कुमार मीणा के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 354डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 354डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– दिनांक 04.01.2022 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 354डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 67ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2021 से पूर्व किसी स्थान पर परिवादिया पूजा मीणा के मोबाइल नंबर से जीमेल, इन्ट्राग्राम, टेलीग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से परिवादिया के संबंध में जानकारी इकठ्ठा कर परिवादिया को मॉनीटर किया और परिवादिया के नाम के से फेक आई.डी. बनाकर परिवादिया को बदनाम करने की नीयत से पेड गर्ल, कॉलगर्ल, फन गर्ल, सैक्स गर्ल, ओनली फॉन वन फन जैसे पोस्ट किये एवं समझाने की कोशिश करने पर परिवादिया के साथ गाली गलौच व अपशब्द कहकर धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और परिवादिया की लज्ञा का अनादर किया और उक्त पोस्ट कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पष्ट यौन कृत्य को प्रकाशित एवं प्रसारित किया? यदि हॉं तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियोजन ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 08 साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू–1 पूजा मीणा** ने शपथ पर कथन किया है कि नवम्बर–दिसम्बर, 2021 की बात है। गौरव मीणा पुत्र खेमराज मीणा ने अपने स्तर पर उसके मोबाईल

नंबर और उसकी इंस्टाग्राम आईडी कहीं से प्राप्त कर ली। फिर उसने उसकी पर्सनल फोटो लेकर उसकी फेक आईडी इंस्टाग्राम पर बनाकर उस पर कमेंट लिखा सेक्स गर्ल, पेड गर्ल, ओनली फॉर फन गर्ल जैसे अश्लील कमेंट लिखे थे। उसने उसके नाम से बहुत सारी फेक आईडी इंस्टाग्राम पर बनाई। उसकी इंस्टाग्राम आईडी माही. के. 247797 थी, जबकि फेक आईडी भी हुबहू इसी नाम से बनाई थी। फिर उसके नाम से पूजा मीणा, पूजा आर, पूजा केपीएम आदि फेक आईडी बनाई थी। इन आईडी से उसने उसके फ्रेंडस और फैमिली मेम्बर की आईडी पर भी मैसेज किया था। फिर उसे अलग अलग जगह से कॉल आने लगे। वो बोलते थे कि चलती है क्या, कितने लेगी, आदि बातें फोन पर करते थे। फिर वह इससे बहुत परेशान हो गई और ये बातें उसने उसकी बड़ी दीदी मधु मीणा व पापा को बताई। फिर दीदी ने बोला कि वह गौरव के पापा से बात करेगी। पहले उसके पापा ने गौरव के पापा से बात की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करके फोन काट दिया। फिर उसकी दीदी ने गौरव के पापा से बात की और उनको कहा कि आपका बेटा उसकी बहन पूजा के नाम से फर्जी आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहा है और उसे परेशान कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि वह समझाता है। फिर उसने गौरव के पापा से बात की, उनको कहा कि आप उसके बडे पापा लगते हो, समाज के हो, गौरव को समझाओ, जिस पर उन्होनें कहा कि वो उसके कहे अनुसार नहीं चल रहा है, फिर उसने उनको कहा कि वह गौरव के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करवाउंगी, जिस पर गौरव के पापा ने कहा कि जो तुमसे हो, वो कर लेना। फिर उसी दौरान गौरव मीणा का फोन उसके नंबर 9468777173 पर फोन आया। फोन उसकी दीदी मधु मीणा ने उठाया, तो वो दीदी को गालियां बोलने लगा व कहा कि उसके पापा को फोन क्यों करती है। उसने धमकी दी कि अगर तू दुबारा फोन करेगी, तो तेरी बिना कपडों के फोटो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पुष्कर में दर्ज कराने आई, जहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर गए और रिपोर्ट दी। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके 164 सीआरपीसी के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष हुये थे, जो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने जो फोटोग्राफ्स, कॉल रिकॉर्डिंग आदि पुलिस को दिये थे, वो पैन ड्राइव में दिये थे। फर्द पेशकशी व जब्ती स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। 65 बी आईटी एक्ट का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिये गये स्क्रीनशॉट का प्रिन्टआउट प्रदर्श पी–5 लगायत पी–34 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द पेशकशी एवं जब्ती पेन ड्राइव प्रदर्श पी–35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह बीए फाइनल में है। वह पुलिस थाना पुष्कर में पहली बार 11 सितम्बर को गयी थी, फिर उसके अगले दिन भी थाना पुष्कर पर गयी थी। यह सही है कि उसने 11 तारीख को पुलिस थाना पुष्कर पर जो रिपोर्ट दी, वो पत्रावली पर नहीं है। वह कुल कितनी बार थाने पर किस–किस तारीख को थाने पर गयी थी, तारीखें उसे याद नहीं है स्वतः कहा कि वह 6–7 बार थाने पर गयी थी। वह एसपी कार्यालय, अजमेर किस तारीख को गयी थी, उसे आज याद नहीं है। उसने रिपोर्ट हाथ से लिखी थी स्वतः कहा कि उसने ईमित्र अजमेर से टाईप करवायी

थी। उसने रिपोर्ट किस तारीख को टाईप करवायी, उसे आज याद नहीं है। यह सही है कि वह और गौरव मीणा एक ही समाज के और गांव के हैं, वे रिश्तेदारी में आते हैं तो जान पहचान है। उसके न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान हुये थे। तारीख उसे आज याद नहीं है। उसने अपने 164 सीआरपीसी के बयान में ए से बी भाग नहीं लिखवाया, उसने बड़े पापा के बारे में लिखवाया था। उसे आज गौरव मीणा के पापा के नम्बर याद नहीं है स्वतः कहा कि उसके भैया से लिये थे। उसने गौरव मीणा से किस तारीख को बात की उसे आज याद नहीं है। यह सही है कि पूजा मीणा, पूजाआर एवं पूजाकेपीएम और भी लड़कियां हो सकती हैं, परन्तु इन सभी आईडी पर उसकी फोटो थी और उसके पास फोन आते थे और उन पर गलत कमेन्टस भी लिखे हुये थे। उसके पास कई कॉल आये थे, जिन लोगों ने गलत कमेन्टस किये थे, उनके नम्बर आज उसे याद नहीं है। यह सही है कि जिन लोगों ने उससे फोन पर अश्लील बातें की, उनके खिलाफ उसने पुलिस में कोई शिकायत की। उसने उसके मोबाइल से ट्रूकॉलर एप पर उन व्यक्तियों के नाम सर्च किये थे, जिनमें उसका परिचित कोई नहीं था। उसने ट्रूकॉलर पर जो–जो नाम देखे, वो आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 में न तो घटना की दिनांक है और ना ही उसको पेश करने की दिनांक है। गौरव मीणा के पास कितने फोन है, उसकी जानकारी उसे नहीं है। गौरव मीणा के मोबाइल नम्बर उसे याद नहीं है स्वतः कहा कि उसने उसके दो नम्बर ट्रूकॉलर पर सर्च किये तो गौरव मीणा के नाम से आये थे। उसने ट्रूकॉलर पर गौरव मीणा के नाम से आये जो नम्बर सर्च किये थे, वो उसे आज याद नहीं है। ट्रूकॉलर एप पर नाम और जीमेल एड्रेस आता है स्वतः कहा कि जो उसने पुलिस में दिये हैं। यह सही है कि जिस तरह उसकी फेक आईडी बनी है, उस तरह गौरव मीणा की भी फेक आईडी बन सकती है स्वतः कहा कि गौरव मीणा की अलग–अलग आईडी पर अलग–अलग फोटो होगी, जबकि उसकी सभी फेक आईडी पर उसकी फोटो थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–5 लगायत पी–34 उसके ही फोन के स्क्रीनशॉट हैं। यह सही है कि उसके द्वारा प्रस्तुत पेनड्राईव में संकलित डेटा साक्ष्य इकट्ठा की गयी है, उसके मोबाइल से इकट्ठा की गयी है। यह सही है कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त नहीं किया था। प्रदर्श पी–13 के सी से डी भाग में गौरव मीणा की फोटो है। यह सही है कि प्रदर्श पी–13 पर कोई अश्लील कमेन्ट नहीं लिखा है। स्वतः कहा कि उसके आगे–पीछे के पेजों पर लिखा है। यह सही है कि कभी उसके कोई फोटोग्राफ नहीं खींचे। यह सही है कि उसके सामने पुलिस ने गौरव मीणा का फोन जब्त नहीं किया। यह भी सही है कि उसके सामने गौरव मीणा के फोन से कोई डेटा पुलिस ने नहीं लिया। वह जब–जब पुलिस थाने गयी, तो पुलिस ने किस–किस तारीख को कागजों पर हस्ताक्षर कराये, उसे आज याद नहीं है। उसने जो दस्तावेज पेश किये थे, उन 28 कागजों पर और कुल मिलाकर 30–35 कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। उसने सभी हस्ताक्षर पुलिस थाने पर ही किये थे। यह कहना गलत है कि उससे सारे हस्ताक्षर एक ही दिन में करवाये गये हो। उससे सारे हस्ताक्षर लगभग तीन–चार दिन में करवाये गये थे। यह सही है कि उसके, उसके परिवार का गौरव मीणा और उसके परिवार से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यह भी सही है कि उसने पुलिस थाना पुष्कर पर गौरव मीणा से झगड़े बाबत कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। यह कहना गलत है कि उसके परिवार और गौरव मीणा के परिवार के मध्य आपस में जमीनी विवाद के कारण उसने

झूठी रिपोर्ट दी हो और आज झूठे बयान दे रही हो। उसे गौरव मीणा ने फोन पर गालियां दी, तब उसने रिपोर्ट की थी। उसने रिपोर्ट 11 सितम्बर को दर्ज करायी थी। उसने रिपोर्ट किस ईमित्र से टाईप करवायी थी, उसका नाम नहीं जानती। उसने रिपोर्ट रेल्वे स्टेशन के पास किसी ईमित्र से करवायी थी। ईमित्र वाले को उसने टाईप के रूपये दिये, जिसकी कोई रसीद नहीं दी थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू–2 मधु कुमारी मीणा** ने शपथ पर कथन किया है कि लगभग अगस्त–सितम्बर वर्ष 2021 की बात है। उस समय उसकी बहन काफी समय से चिन्ता में थी. बात नहीं कर रही थी, बहुत टाईम से गुमसुम सी थी। जब उसने उससे इस बाबत पूछा तो उसने उसे रोते हुए बताया कि गौरव मीणा पुत्र खेमराज मीणा ने मेरा इंटाग्राम अकाउण्ट हैक करके उसके नाम से हूबहू फर्जी आईडी बनाकर उस पर उसकी फोटो लगायी, अश्लील कमेन्टस लगाये, जैसे पेड गर्ल, सेक्स गर्ल, फन गर्ल आदि। और उक्त इंस्टाग्राम अकाउण्ट पर उसकी बहन के नंबर भी लिख दिये। ये सब बातें उसने उसे बताई, जो उसने उसके पापा को बताई। फिर उसके पापा ने गौरव के पिता खेमराज मीणा को कॉल किया, जिन्होंने अपने पुत्र का पक्ष लेकर कॉल कट कर दिया। फिर उसने खेमराज मीणा को कॉल करके कहा कि हम एक ही समाज और गोत्र के है। उनका गोत्र नायडा है और हमारा गोत्र भी नायडा है। फिर उसने उनको कहा कि आपका बेटा गौरव जो मेरा भाई लगता है, उसकी बहन की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील कमेंट करके उक्त चीजें प्रचारित की है। जिस पर खेमराज मीणा ने कहा कि वह देखता हूं। फिर इसी दौरान गौरव मीणा का फोन मोबाईल नंबर 9468777173 पर आया। उसने हम दोनो बहनों को गाली निकालते हुए कहा कि बहन की लौडी तू उसके पापा को फोन करके क्या साबित करना चाहती है। तुम सब न सब रांडे हो। बडी वाली तो है ही, छोटी वाली भी रांड है। फिर उसने कॉल कट कर दिखा। उसके बाद रिश्वोर्ट पूजा मीणा ने दर्ज करवायी थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 पर सी से डी मेरै हस्ताक्षर है। उसके 164 सीआरपीसी के बयान जेएम कोर्ट अजमेर में हुये थे, जो प्रदर्श पी–36 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–35 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह डबल एम.ए. है। वह नेट की तैयारी कर रही है। उसकी बहन ने उसे अगस्त में किस तारीख को उसे ये बात बतायी, आज उसे याद नहीं है, स्वतः कहा कि सितम्बर में उन्होंने रिपोर्ट करवायी थी। उसने गौरव मीणा के पापा को किस तारीख को फोन किया, आज उसे याद नहीं है। उसने गौरव मीणा के पापा को किस नम्बर पर फोन किया, उसे आज याद नहीं है। वे पुष्कर थाने पर किस तारीख को पहली बार गये थे, उसे आज याद नहीं है। उन्होंने पुलिस थाना पुष्कर पर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था, लेकिन उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर प्रार्थना–पत्र वापस ले लिया था। थाने पर रिपोर्ट देने की तारीख उसे आज याद नहीं है। उसने अपने 164 सीआरपीसी के बयानों में उसकी बहन की फेक आईडी के नाम नहीं लिखवाये थे। यह सही है कि उसके फोन पर किसी तरह के कमेन्टस नहीं आये थे स्वतः कहा कि उसकी बहन पूजा के फोन और इंस्टाग्राम अकाउण्ट पर आये थे। उन फेक आईडी से उसकी बहन की फोटोज किन–किन लोगों को प्रसारित हुये वह नहीं बता सकती स्वतः कहा कि उस समय एक हजार

फॉलोवर थे। उसकी बहन उसे फेक आईडी के बारे में पहली बार किस तारीख को कितनी बजे बताया था वह नहीं बता सकती। यह सही है कि प्रदर्श पी–35 में प्रस्तुत सामग्री उसकी बहन पूजा के फोन से लेकर पुलिस को दिये थे। उसने पैन ड्राइव किस तारीख को खरीदा, उसे याद नहीं है। पैन ड्राइव बस स्टैण्ड के सामने से खरीदा था। वह पूजा के साथ एसपी कार्यालय अजमेर में गयी थी। उन्होंने रिपोर्ट रेल्वे स्टेशन पर ईमित्र वाले से टाईप करवायी थी। उसे ईमित्र वाले का नाम व तारीख आज याद नहीं है। यह सही है कि पुलिस ने उसके सामने गौरव मीणा का मोबाइल जब्त नहीं किया था। यह कहना गलत है कि उसके परिवार और गौरव मीणा के परिवार में कोई जमीन का विवाद हो। जिस समय उसने पुलिस को पेन ड्राइव दिया था, उस समय वह और पूजा थे। पेन ड्राईव पुलिस को देने की तारीख उसे आज याद नहीं है। पुलिस ने उससे किस–किस तारीख को कितने कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, आज उसे याद नहीं है। उससे पुलिस ने साईन 10–12 दिन की अवधि के बीच करवाये थे। वह गौरव मीणा के मोबाइल नम्बर नहीं बता सकती है। उसे आज ध्यान नहीं है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे या नहीं हुए थे। यह कहना गलत है कि उसके परिवार का गौरव के परिवार के साथ जमीनी विवाद हो और इस कारण उसकी बहन ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रही है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–3 रमेश चंद मीणा** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब 7–8 महीने पहले की बात हैं। उसकी बच्ची पूजा मीणा ने बताया कि गौरव मीणा नाम के लडके ने फेक आईडी बनाकर उसकी फोटो अपलोड कर दी। उसकी बेटी पूजा पढाई करती है। गौरव मीण हमारे पेतृक गाव नाई खेडा का रहने वाला है। फिर उसकी बेटी पूजा मीण के मोबाईल नंबर कही लेकर उसकी बेटी की फेक आईडी बनाकर अपने मोबाईल से अपलोड कर और उसने अश्लील बाते लिखी जिसमें उसने पेड गर्ल, चालू लडकी आदि कमेट लिखकर उसकी बेटी के मोबाईल नंबर इस कमेट के साथ लिख दिये। फिर उसकी बेटी पूजा के मोबाईल पर भिन्न भिन्न नंबरों से फोन आने लगे और उसे परेशान करने लगे। उसकी बेटी के मोबाईल नंबर 9468777173 थे। उसकी बेटी ने उसे बताया कि गौरव मीणा नाम के लडके ने उसकी फर्जी आईडी बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी जिससे कई लोग उसे परेशान करते है। फिर हमने गौरव के घर वालों से बात की। उन्होने कहा की हमारा बच्चा हमारे कहने में नही है। हमने थाने में रिपोर्ट दी थी लेकिन साईबर काईम होने के कारण हमें अजमेर भेज दिया। जहां एसपी कार्यालय में परिवाद पेश किया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह दसवीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है। वह केवल हिन्दी जानता है। थोड़ी–सी अंग्रेजी भी जानता है। खेमराज उसके गांव के ही है। उसकी समाज के हैं। यह कहना गलत है कि खेमराज और उसके बीच जमीन का विवाद हो। वह पुष्कर थाने पर कब गया दिनांक उसे याद नहीं है। वह 2022 में दो बार पुष्कर थाने गया था उसके पहले नहीं गया था। वह गौरव मीणा के मोबाईल नंबर नहीं जानता है। गौरव का मोबाईल किस कम्पनी का है उसे नहीं पता। उसके चार लडकियां है। यह कहना गलत है कि उसकी लडकियां उससे अलग रहती हो। कभी भी उसकी लडकियां उससे अलग नही रही, हमेशा साथ ही रही। वह इंस्टाग्राम में नहीं समझता है, वह फेसबुक नहीं चलाता है। वह वर्तमान में लीलासेवड़ी में रहता है। उसने

पुष्कर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट उसकी बेटी ने लिखी थी। उस समय वह भी साथ था। उसने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे अजखुद कहा कि हस्ताक्षर किये या नहीं याद नहीं है। गौरव मीणा ने उसकी बेटी को किस दिनांक को मैसेज किये उसे याद नहीं है। उसने पुष्कर थाने के आलावा और कोई कार्यवाही की हो तो उसे याद नहीं है। वह यूजर आईडी के बारे में नहीं जानता। उसने उसकी बेटी के कहने पर ही थाने पर रिपोर्ट दी थी। उसने भी उसे पानी सिर के ऊपर से गुजर जाने के बाद बताया। उसकी बेटी ने उसे घटना के बारे में दिनांक किस माह और किस साल में बताया उसे याद नहीं है। उसने उसकी बेटी के अलावा किसी अन्य के मोबाईल पर उसकी बेटी की अश्लील फोटो नहीं देखी थी। उसे पता नहीं कि उसके पुलिस में बयान हुए या नहीं अजखुद कहा कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने उससे कितने कागजों पर हस्ताक्षर करवाये उसे आज याद नहीं है। जिन कागजों पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये उन पर लिखा पढ़ी हो रखी थी, एक कागज खाली था। उसके पास किसी का फोन नहीं आया, उनमें से एक भी नम्बर याद नहीं है। उसकी बेटियों के नाम मधु, सोनिया, पूजा और सुमन उसकी किसी भी बेटी की शादी नहीं हुई है। जिन नम्बरों से उसकी बेटी के पास फोन आया था उनके खिलाफ उसकी बेटी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उसे उसकी बेटी सुमन के मोबाईल नम्बर याद नहीं है। वह जब थाने पर गया तो दो बार उसकी बेटी साथ थी और एक बार वह अकेला गया था। वह नहीं पहचान सकता की रिपोर्ट पत्रावली पर है या नहीं, वह अभी भी सरकारी सेवक हूं। वह पोस्ट आफिस में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत है। यह कहना गलत है कि उसके और खेमराज मीणा के मध्य कोई जमीन का विवाद चल रहा है। यह कहना गलत है कि उसने खेमराज पर दबाव बनाने के लिये यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया। उसे नहीं पता नहीं कि गौरव मीणा उसकी बेटियों से मिला या नहीं मिला। उसने जो पुष्कर थाने रिपोर्ट पेश की उसमें कुछ शब्द अंग्रेजी के लिखे थे या नहीं उसे नहीं पता, उसकी बच्चियों को पता है। रिपोर्ट उन्होंने पुष्कर थाने पर बैठकर लिखी थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू–4 जोराराम** ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 16.09.2021 को पुलिस थाना पुष्कर में कानि के पद पद तैनात था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद ने उसके सामने मुकदमा न. 198/21 अन्तर्गत धारा 354डी, 506, 509 भादस व 67 आईटी एक्ट में स्कीन शॉट की कुल 30 प्रतियां जब्त की थी। जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व दिनांक 27.10.2021 को मुलजिम गौरव मीणा से एक रीयल मी का मोबाईल जब्त किया था जो प्रदर्श पी 38 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। व उसी दिन मुलजिम गौरव मीणा को उसके सामने गिरफतार किया था फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 39 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती पैनड्राईव प्रदर्श पी 35 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि जब्तशुदा मोबाइल का रीयल मी कंपनी का था, मॉडल नंबर उसे ध्यान नहीं है। जिस मोबाईल से स्क्रीनशॉट लिये उसके नंबर उसे आज याद नहीं है। स्क्रीनशॉट की प्रतियां की फोटो कॉपी थाने के लेपटाप से निकाली थी। जब्तशुदा पेनड्राईव में कितनी रिकॉर्डिंग थी आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–38 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही इस पर पीड़िता के हस्ताक्षर नहीं है। यह

authentication document

कहना सही है कि अभियुक्त ने गिरफ्तारी के समय किस रंग के कपड़े पहन रखे थे। प्रदर्श पी–35 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–03 पर भी किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि नमूना सील उसके पास रहती हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–5 विजय** ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 08.11.2021 को पुलिस थाना पुष्कर में कानि के पद पद तैनात था। उस दिन उसने मुकदमा न. 198/21 अन्तर्गत धारा 354डी, 506, 509 भादस व 67 आईटी एक्ट में एसएचओ पुष्कर की तहरीर पर उसने एच एम मालखाना से शील्ड शुदा पैकेट जिन पर मार्का ए व बी थे जिनको दिनांक 09.11.2021 को एफएसएल जयपूर मे जमा कराकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर एचएम मालखाना को सूपूर्द की। एफएसएल प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 40 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि उसने सिर्फ एफएसएल में माल जमा करवाया था, अन्य कार्यवाही उसके द्वारा नहीं की गई थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू–6 हीरालाल** ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 16.09.2021 को पुलिस थाना पुष्कर पर हेड कांस्टेबल / मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन पुनि महावीर प्रसाद शर्मा ने मुकदमा नंबर 198/2021 अन्तर्गत धारा 354ग, 506, 509 भादंस व 67ए आईटी एक्ट में जब्त शुदा स्कीन शॉट की प्रतियां व एक मोबाईल जिनको जरीये फर्द जमा मालखाना करवाया था जिनको उसने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज किया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि उक्त प्रकरण में उसने सिर्फ जमा मालखाना किया था, अन्य कार्यवाही उसके द्वारा नहीं की गई।

साक्षी **पीडब्ल्यू–7 गणेशराम** ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 27.10.2021 को पुलिस थाना पुष्कर में हेडकानि के पद पद तैनात था। उस दिन अनुसधान अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने उसके सामने मुकदमा न. 198/21 अन्तर्गत धारा 354डी, 506, 509 भादस व 67 आईटी एक्ट में एक रीयल मी का मोबाईल जब्त किया था जो प्रदर्श पी 38 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। व उसी दिन मुलजिम गौरव मीणा को उसके सामने गिरफतार किया था फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 39 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि जब्तशुदा मोबाईल रीयल मी कम्पनी का था, मोडल नं. उसे ध्यान नहीं है। जिस मोबाईल से स्क्रीनशॉट लिये उसके नंबर उसे आज याद नहीं है। स्क्रीनशॉट की प्रतियों की फोटो कॉपी थाने के लेपटॉप से निकाली थी। जब्तशुदा पेनड्राईव में कितनी रिकॉर्डिंग थी आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–38 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही इस पर पीड़िता के हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि अभियुक्त ने गिरफ्तारी के समय किस रंग के कपड़े पहन रखे थे। प्रदर्श पी–35 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–03 पर भी किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि नमूना सील उसके पास रहती हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–8 महावीर प्रसाद** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 11.09.2021 को पुलिस थाना पुष्कर में एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन जरीये डाक

154 3 सीआरपीसी का परिवाद एसपी साहब अजमेर के कार्यालय से परिवादिया पूजा मीणा का प्राप्त हुआ जिस पर मुकदमा नंबर 198/2021 अन्तर्गत धारा 354डी, 509, 506 भादंस 67ए आईटी एक्ट में दर्ज कर तफतीस मन आईओ मसरूफ हुआ। दौराने अनुसधान उसने गवाह पूजामीणा, मधू, रमेशचद, विजय कुमार, के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद कर शामिल पत्रावली किये गये। परिवादियां 65 बी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये जो प्रदर्श पी 04 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती स्कीनशॉट की फोटो प्रतियां मय फर्द जब्ती कमश प्रदर्श पी 02 से लगायत 34 है। प्रदश 'पी 02 पर उसके जी से एच हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती पैनडाईव प्रदर्श पी 35 है। जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मोबाईल प्रदर्श पी 38 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षहर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 39 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षहर है। परिवादिया पूजा मीणा व उसकी बहन मधू मीणा के 164 सीआरपीसी के बयान जेएम नं. 01 अजमेर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। जो कमश प्रदर्श पी 02 व पी 36 है। मुलजिम के मोबाईल से मिले परिवादिया बाबत किये अश्लील स्क्रीनशॉट को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो कमश पी 40ए से लगायत 44 जिन पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। प्रकरण में विवादित स्टाग्राम की यूआरएल आईडी प्राप्त करने हेतु श्रीमान एसपी साहब को जारी पत्र जिसका विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो कमश प्रदर्श पी 45, पी 46,पी 47, पी 48 है। जिन पर कमश ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल हेतु जारी पत्र प्रदर्श पी 49 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। परिवादिया पूजा मीणा विडियों ग्राफी बयान प्रदर्श पी 50 है जिस ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रसीद प्राप्त कर शामिल की जो प्रदर्श पी 40 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। परिवाद प्रदर्श पी 01 है जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदश पी 51 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसधान उसने अभियुक्त गौरव मीणा के विरूद्ध जूर्म धारा 354डी, 506, 509 भादंस व 67ए आईटी एक्ट में आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोप पत्र पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि पुलिस थाना पुष्कर पर जो शिकायत क्रमांक 275401272100825 वाली है यह पत्रावली पर नहीं है। पीड़िता के 164 के बयान में जो कहा हुआ कि उनके आपस में जमीन का विवाद है, इस संबंध में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। प्रदर्श पी–01 पर पीड़िता के हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि यह डाक से आया था। गौरव मीणा ने अपनी फेक आईडी बनवाये जाने बाबत उसके सामने कोई शिकायत नहीं की। एफएसएल नतीजा रिपोर्ट आज पत्रावली पर नहीं है। प्रदर्श पी–04 पर ना तो पीडिता के मोबाईल नंबर है ना ही अभियुक्त के नम्बर है, ना ही मेल आईडी है। यह सही है कि एक आदमी के नाम एक से अधिक मोबाईल सिम हो सकती है। यह सही है कि अन्य आदमी के बारे में इस पत्रावली पर उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया है। प्रदर्श पी–03 में वर्णित पूजा के मोबाईल के स्वामित्व के दस्तावेज उसने प्राप्त नहीं किये। मुलजिम के कब्जे से जो उपकरण प्राप्त किये उनके बिल उसने प्राप्त नहीं किये। ऐसे दूसरा उपकरण आसानी से बाजार में नहीं मिलता, क्योंकि प्रत्येक मोबाईल का आईएमईआई नम्बर

authentication document

अलग–अलग होता है। प्रदर्श पी–03 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह सम्पूर्ण फर्दे उसके निर्देशन में रीडर हेड कांस्टेबल गणेश द्वारा तैयार की गयी थी। प्रदर्श पी–3 पर सील मार्का थाने का ही है। यह सही है कि पीड़िता ने पेन ड्राईव कहां से तैयार कराया, इस बाबत उसने कोई अनुसंधान नहीं किया, स्वतः कहा कि पेनडाईव पीड़िता ने स्वयं ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग डालकर पेश किया था। यह सही है कि पीड़िता ने जिस मोबाइल से पेनड्राईव व स्क्रीनशॉट तैयार करना बताया, उस मोबाइल को उसके द्वारा जब्त नहीं किया गया था। यह सही है कि उसके द्वारा पेनड्राइव व सीडी बाबत प्रदर्श पी–4 के अलावा अलग से कोई 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पीड़िता से प्राप्त नहीं किया गया था। यह सही है कि परिवादिया को अन्य और किन लोगों ने फोन किया, उनसे पूछताछ नहीं की, क्योंकि पीड़िता ने उनके नाम नहीं बताये थे। यह सही है कि परिवादी एवं उसके परिजनों के अलावा किसी अन्य लड़के या आदमी ने परिवादिया को अश्लील फोटोज आने बाबत बताया हो, इस बाबत उसके अनुसंधान में कोई तथ्य सामने नहीं आया। यह सही है कि प्रदर्श पी–5 लगायत पी–34 पेश करने बाबत परिवादिया को धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस परिवादिया को नहीं दिया गया, स्वतः कहा कि परिवादिया ने स्वयं ही दस्तावेज पेश किये, इसलिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह सही है कि परिवादिया किस प्रिन्टर से दस्तावेज प्रिन्ट करवाकर लायी, इस बाबत उसने कोई अनुसंधान नहीं किया स्वतः कहा कि उक्त प्रिन्ट दस्तावेजात का परिवादिया के मोबाइल से मिलान किया था। यह सही है कि जब मुल्जिम से जब्ती प्रदर्श पी–38 की कार्यवाही की गयी, उस समय मुल्जिम थाने पर कस्टडी में था, स्वतः कहा कि जामातलाशी के वक्त मिले थे। प्रदर्श पी–38 में दर्शित स्क्रीनशॉट्स मुल्जिम के मोबाइल में जो मिले, उन्हें थाने से प्रिन्ट लेकर शामिल पत्रावली किया गया था। उक्त प्रिन्ट थाने के सरकारी प्रिन्ट से लिये गये थे। यह सही है कि इस बाबत प्रदर्श पी–38 में किस प्रिन्टर से लिया, इस बाबत इन्द्राज नहीं है। यह सही है कि कोई व्यक्ति अपनी फेसबुक आईडी पर अपनी इच्छा से कुछ भी अपलोड कर सकता है स्वतः कहा कि यदि वह कानूनी रूप से गलत हो तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। यह कहना गलत है कि उसने गवाहों के बयान अपनी मनमर्जी से लिए हो। यह सही है कि अभियुक्त द्वारा आमने–सामने परिवादिया पर ऐसा कोई गाली गलौज नहीं किया अथवा आपराधिक बल प्रयोग नहीं किया, जिससे उसकी लज्जा भंग होती हो। यह कहना गलत है कि उसने परिवादिया से मिलकर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत झूठे तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ झूठा चालान पेश किया हो।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादिया पूजा मीणा द्वारा एक परिवाद पुलिस अधीक्षक शाखा, साइबर क्राइम सेल, जिला अजमेर के समक्ष पेश करने से हुआ, जिसके माध्यम से परिवादिया ने कथन किया कि उसके गांव व समाज का लड़का गौरव मीणा है, जो उसकी बुआ के लड़के विनोद का मित्र है। गौरव मीणा ने उसके मोबाईल नंबर का अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त कर जीमेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम व अन्य सभी सोशल मीडिया साईट पर उसे सर्च करते हुए, न जाने कैसे उसके पूर्व व अन्य पारिवारिक फोटोग्राफ्स को अपने फोन व सोशल मीडिया साईट पर उसके नाम की Fake ID

authentication document

बनाकर उसकी सोशल मीडिया साईट mahi.k.247797, हूबहू mahi.k249777, mahi.k.2477, puja_r.24779, poojameena24779, अपने फोन सैल नंबर pooja.k.m.p, riyak6426 व 8290105797 व अन्य किसी सोशल साईट पर जाकर उसके फोटोग्राफ्स को फेक इंस्टाग्राम साईट पर अपलोड कर दिया तथा फोटोग्राफ्स पर अश्लील कमेंटस व भद्दी शब्द शैली, उसके मोबाईल नंबर 9468777173 को Fake ID साईट पर ("paid girl, & call girl) शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी सामाजिक ख्याति को हानि पहुंचाने की बदनीयती से ऐसे शब्द जो स्त्री की गरिमा व लज्जा को भंग करते है, पोस्ट किए। सोशल मीडिया फेक साईट पर गौरव मीणा द्वारा उसका वर्तमान मोबाईल नंबर 9468777173 पर वॉट्सअप मैसेज पर अश्लील कमेंटस व अन्य मोबाईल नंबरों से कॉल कर उसे हैरान–परेशान किया जा रहा है, जिसका एकमात्र कारण गौरव मीणा है। इसकी जानकारी होने के बाद उसने गौरव मीणा की सोशल साईट पर जाकर नंबर देखकर, उसे समझाते हुए हिदायत दी कि आईन्दा ऐसी कोई हरकत न करे, जिससे उसे उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही करनी पड़े, लेकिन वह नहीं माना और प्रार्थिया को धमकाते हुए कहा कि तेरे निर्वस्त्र फोटोज़ को वह सोशल साईट पर फोटो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनवाकर अपलोड कर दूंगा।" गौरव मीणा ने सोशल मीडिया पर उसके फोटोग्राफ्स फेक आई.डी. के साथ लगाते हुए, उस पर अश्लील कमेंटस लिखना व उसके सोशल मीडिया फ्रेंड सर्किल पर बंद नहीं किया, तब उसकी बड़ी बहन मधु कुमारी मीणा ने गौरव व उसके पिता से मोबाईल नंबर पर अपने मोबाईल नंबर से फोन कर वार्तालाप कर समझाना चाहा तो गौरव के पिता ने कहा कि उसका पुत्र उसके काबू में नहीं है, लेकिन फोन पर गौरव ने उसके साथ अभद्रता व गाली–गलौज करते हुए धमकी दी, जिससे प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादिया पूजा, उसके पिता रमेशचंद व बहन मधु कुमारी मीणा महत्वपूर्ण गवाह है, जो न्यायालय के समक्ष के समक्ष क्रमशः पीडब्ल्यू–1, 3 व 2 के रूप में परीक्षित हुए है। परिवादिया पूजा ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की और अपने कथनों के समर्थन में 35 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये, जिनका अवलोकन किया गया। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, परिवादिया के दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान 164 के कथन प्रदर्श पी–2, फर्द जब्ती स्क्रीनशॉट प्रदर्श पी–3, धारा 65–बी सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–4 है, उसके द्वारा दिये गये स्क्रीनशॉट के प्रिंटआउट प्रदर्श पी–5 लगायत प्रदर्श पी–34 है व फर्द पेशकशी एवं जब्ती पेन ड्राइव प्रदर्श पी–35 है। उक्त समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायालय पुनः उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि परिवादिया ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 164 में दिये गये कथनों में स्वयं द्वारा वर्णित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने कथन किया कि उसने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान का ए से बी भाग नहीं लिखाया। साथ ही स्वीकार किया कि पूजा मीणा, पूजाआर एवं पूजाकेपीएम और भी लडकियां हो सकती है, परन्तु इस सभी आईडी पर उसकी फोटो थी और उसके पास फोन आते थे और उनपर गलत कमेन्ट्स भी लिखे हुए थे। साथ ही इस सुझाव को स्वीकार किया कि जिन लोगों ने उससे फोन पर अश्लील बातें की, उनके खिलाफ उसने पुलिस में कोई

शिकायत नहीं की। उसने अपने मोबाइल से ट्रूकॉलर एप पर उन व्यक्तियों के नाम सर्च किये थे, जिनमें उसका परिचित कोई नहीं था। साथ ही स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 में घटना की दिनांक अंकित नहीं है। प्रदर्श पी–13 के सी से डी भाग में गौरव मीणा की फोटो है, जिस पर अश्लील कमेंट्स नहीं है।

13– आगे अन्य गवाह मधु कुमारी मीणा पीडब्ल्यू–2 ने भी मुख्य परीक्षण में परिवादिया के मुख्य परीक्षण के कथनों की भांति कथन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत सक्षम न्यायालय में हुए बयान प्रदर्श पी–36 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये और अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसके फोन पर किसी तरह के कमेंट्स नहीं आये थे। फेक आईडी से उसकी बहन की फोटो किन–किन लोगों को प्रसारित हुए, वह नहीं बता सकती। आगे अन्य गवाह रमेशचंद पीडब्ल्यू–3 ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की और अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि गौरव मीणा ने उसकी बेटी को किस दिनांक को मैसे किये, उसे याद नहीं है। उसने अपने बेटी के अलावा किं अन्य के मोबाइल पर उसकी बेटी की अश्लील फोटो नहीं देखी थी।

14– आगे न्यायालय यह लिखना वांछनीय समझता है कि उक्त तीनों गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा जो गवाह परीक्षित हुए है, वे सभी पुलिस कर्मी है। गवाह जोराराम पीडब्ल्यू–4 ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती पेन ड्राइव प्रदर्श पी–35, फर्द जब्ती मोबाइल प्रदर्श पी–38 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–39 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। इसी प्रकार उक्त गवाह फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है। आगे अन्य गवाह विजय पीडब्ल्यू–5 एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–40 बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है। गवाह हीरालाल पीडब्ल्यू–6 प्रकरण में जब्तशुदा स्क्रीनशॉट की प्रति व मोबाइल को मालखाना में जमा करवाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है। अन्य गवाह गणेशराम पीडब्लयू–7 मोबाइल जब्ती प्रदर्श पी–38 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–39 पर अपने हस्ताक्षर करने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है।

15– अन्य गवाह महावीर प्रसाद पीडब्ल्यू–8 अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान बाबत विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी है एवं अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने कथन किया कि एक आदमी के नाम से एक से अधिक मोबाइल सिम आ सकती है। मुलजिम के कब्जे से जो उपकरा प्राप्त किये, उसके बिल उसने प्राप्त नहीं किये। साथ ही स्वीकार किया कि पीडिता ने जिस मोबाइल से पेन ड्राइव व स्क्रीनशॉट तैयार करना बताया, उस मोबाइल को उसके द्वारा जब्त नहीं किया गया था। साथ ही स्वीकार किया कि परिवादिया व उसके परिजनों के अलावा किसी अन्य लडके या आदमी ने परिवादिया को अश्लील फोटोज आने बाबत बताया हो, इस बाबत उसके अनुसंधान में कोई तथ्य सामने नहीं आया।

16– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 11.09.2021 से पूर्व किसी स्थान पर परिवादिया पूजा मीणा के मोबाइल नंबर से जीमेल, इन्ट्राग्राम, टेलीग्राम व

authentication document

अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से परिवादिया के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर परिवादिया को मॉनीटर किया और परिवादिया के नाम के से फेक आई.डी. बनाकर परिवादिया को बदनाम करने की नीयत से पेड गर्ल, कॉलगर्ल, फन गर्ल, सैक्स गर्ल, ओनली फॉन वन फन जैसे पोस्ट किये एवं समझाने की कोशिश करने पर परिवादिया के साथ गाली गलौच व अपशब्द कहकर धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और परिवादिया की लज्ञा का अनादर किया और उक्त पोस्ट कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पष्ट यौन कृत्य को प्रकाशित एवं प्रसारित किया। इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त गौरव मीणा ने ही परिवादिया पूजा मीणा की फेक आईडी तैयार की हो, इस बाबत कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में यदि दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर करे तो प्रकरण में प्रदर्श पी–47, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज में Contact e–Mail gouravmahimeena98@gmail.com और Recovery e–Mail, Recovery SMS +918290105797 मोबाइल नंबर +918290105797, +919982615449, +918290105797, User Phone Numbers +918290105797, +918290105797, +917230838989, +917357261187, +919982615449 है। उक्त दस्तावेज बाबत कोई भी विशेषज्ञ साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में e–Mail gouravmahimeena98@gmail.com इसी अभियुक्त गौरव मीणा द्वारा बनाई गई हो, इस बाबत भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं की। अभियुक्त ने ही पूजा मीणा की फेक आईडी बनाकर उस पर भद्दे कमेंट्स किये हो, इस बाबत भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई है।

17– इसके अतिरिक्त न्यायालय यह लिखना भी वांछनीय समझता है कि हस्तगत प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम से संबंधित है, जहां दस्तावेज एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। अभियुक्त गौरव मीणा द्वारा किस स्थान पर किस कम्प्यूटर से उक्त फेक आईडी बनाई, इस बाबत भी कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी ने जब्त नहीं किये है। यद्यपि अभियोजन अधिकारी ने एक मोबाइल रियल मी कंपनी का गौरव मीणा के कब्जे से जब्त किया, जो प्रदर्श पी–38 है, परन्तु उक्त मोबाइल न्यायालय के समक्ष बतौर आर्टिकल पेश नहीं किया गया। यद्यपि कुछ स्क्रीनशॉट की प्रतियां उपलब्ध है, जिन पर कुछ भद्दे कमेंट्स किए हुए है, परन्तु उक्त समस्त भद्दे कमेंट्स अभियुक्त गौरव मीणा द्वारा ही किये गये हो, इस बाबत भी कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं की गई। अभियोजन का यह भी कथन है कि परिवादिया पूजा की ईमेल आईडी pm3359234@gmail.com पर इमेल आईडी gouravmahimeena98@gmail.com से भेजे गये अश्लील स्क्रीनशॉट बाबत आरोपी गौरव की इमेल आईडी gouravmahimeena98@gmail.com की यूआरएल आईडी प्राप्त कर अवलोकन किया तो उक्त ईमेल आईडी मोबाइल नंबर 8290105797 पर संचालित होना पाया गया, जिसका सिम धारक गौरव कुमार मीणा था और उक्त मोबाइल नंबर सिम धारक गौरव कुमार मीणा द्वारा पूजा की ईमेल आईडी पर अपनी ईमेल आईडी से पीडिता पूजा की फर्जी इंस्ट्राग्राम आईडी के साथ अश्लील कमेंट का स्क्रीनशॉट व पीडिता पूजा की रंगीन फोटो भेजना पाया गया, परन्तु इस न्यायालय के विनम्र मत में उक्त मैसेज अभियुक्त गौरव मीणा ने ही भेजे हो

authentication document

या गौरव मीणा ही उक्त ईमेल आईडी का संचालन कर रहा हो, इस बाबत कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परिवादिया पूजा की बहन मधु मीणा व उसके पिता रमेशचंद के अतिरिक्त किसी भी स्वतंत्र गवाह को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। साथ ही अभियोजन यह भी बताने में नाकाम रहा कि किस स्थान पर अभियुक्त द्वारा अपनी ईमेल आईडी तैयार की गई। ऐसी स्थिति में अभियोजन की कहानी संदेह के बादलों से आच्छादित हो जाती है।

18– सम्प्रति, परिवादी पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा कि अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2021 से पूर्व किसी स्थान पर परिवादिया पूजा मीणा के मोबाइल नंबर से जीमेल, इन्ट्राग्राम, टेलीग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से परिवादिया के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर परिवादिया को मॉनीटर किया और परिवादिया के नाम के से फेक आई.डी. बनाकर परिवादिया को बदनाम करने की नीयत से पेड गर्ल, कॉलगर्ल, फन गर्ल, सैक्स गर्ल, ओनली फॉन वन फन जैसे पोस्ट किये एवं समझाने की कोशिश करने पर परिवादिया के साथ गाली गलौच व अपशब्द कहकर धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और परिवादिया की लज्जा का अनादर किया और उक्त पोस्ट कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पष्ट यौन कृत्य को प्रकाशित एवं प्रसारित किया। फलतः अभियुक्त गौरव कुमार मीणा पुत्र खेमराज मीणा, उम्र 23 साल, निवासी नाईखेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 354–डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं 67–ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

19– परिणामतः अभियुक्त गौरव कुमार मीणा पुत्र खेमराज मीणा, उम्र 23 साल, निवासी नाईखेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर, जिला अजमेर को अपराध धारा 354–डी, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं 67–ए सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्त के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझे जावें।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

20– निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

DHARMENDRA KUMAR RATHORE
steno grade II authentication document
Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR RATHORE

authentication document